न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 167/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/110
दायर दिनांक :– 08.08.2024 निर्णय दिनांक :– 27.11.2024

1. अल्लादीन पुत्र यातखां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामती पत्नी अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3/1580 रकबा 25–00 बीघा सरहद मौजा रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थी ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है। लेकिन वर्तमान मे सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के ही प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एंव सहमति नहीं दी है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम रोला के खसरा नम्बर 3/1580 रकबा 25–00 बीघा भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त की तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम सेला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3/1580 रकबा 25-00 बीघा की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है वर्तमान तरमीम को परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)